

# तट न्यूसेंस (मुम्बई और कोलाबा) अधिनियम, 1853

## धाराओं का क्रम

### धाराएं

उद्देशिका ।

- न्यूसेंस हटाने की सूचना देने की शक्ति । सूचना देने की पद्धति । अन्तर्वस्तुएं । प्ररूप ।
- न्यूसेंस को हटाने के अधिकार से इंकार करने वाले व्यक्ति द्वारा अर्जी । उस पर प्रक्रिया ।
- अधिकार साबित करने का भार ।
- अर्जी के लिए समय-सीमा ।
- कलेक्टर न्यूसेंस को कब हटवा सकेगा । वारंट का प्ररूप । संरक्षण ।
- अधिक्रमण विषयक सामग्री का विक्रय करने की शक्ति ।
- सरकार के अधिकारों की व्यावृत्ति ।
- “उच्चतम-ज्वार चिह्न” की परिभाषा ।

# 1 तट न्यूसेंस (मुम्बई और कोलाबा) अधिनियम, 1853

(1853 का अधिनियम संख्यांक 11)

[15 जुलाई, 1853]

मुम्बई और कोलाबा के द्वीपों में उच्चतम-ज्वार चिह्न के नीचे  
न्यूसेंस और अधिक्रमण का हटाया जाना आसान  
करने के लिए  
अधिनियम

**उद्देशिका**—मुम्बई और कोलाबा के द्वीपों में एक बड़ा समुद्रतट है और मुम्बई के बन्दरगाह में सुरक्षित नौपरिवहन की तथा साधारणतया सार्वजनिक हित की दृष्टि से उक्त बन्दरगाह में या उक्त द्वीपों के तटों पर या उनके आसपास उच्चतम-ज्वार चिह्न के नीचे न्यूसेंसों, बाधाओं और अधिक्रमणों का हटाया जाना आसान करना समीचीन है; अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

**1. न्यूसेंस हटाने की सूचना देने की शक्ति । सूचना देने की पद्धति । अन्तर्वस्तुएं । प्ररूप**—मुम्बई के भू-राजस्व कलक्टर के लिए यह विधि सम्मत होगा कि वह ऐसी सूचना दे जिसमें उक्त मुम्बई के बन्दरगाह में अथवा उक्त द्वीपों के तटों पर या उनके आसपास उच्चतम-ज्वार चिह्न के नीचे कहीं पर भी किसी न्यूसेंस, बाधा या अधिक्रमण के हटाए जाने की अपेक्षा की जाए; ऐसी सूचना उस अधिक्रमण, बाधा या न्यूसेंस पर, या उसके आसपास जिसका कि परिवाद किया गया है, किसी सहजदृश्य स्थान में उसे लगाकर, और [शासकीय राजपत्र] में उसे प्रकाशित करके, दी जाएगी, और उसमें यह कहा जाएगा कि यदि उस न्यूसेंस, बाधा या अधिक्रमण को एक मास के अन्दर हटाया नहीं गया या समाप्त नहीं किया गया, तो उक्त कलक्टर द्वारा वह हटा दिया जाएगा या उसे समाप्त कर दिया जाएगा; ऐसी सूचना इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची के प्ररूप सं० 1 में या उसी आशय के प्ररूप में हो सकती है।

**2. न्यूसेंस को हटाने के अधिकार से इंकार करने वाले व्यक्ति द्वारा अर्जी । उस पर प्रक्रिया**—यदि कोई व्यक्ति ऐसे समाप्त करने या हटाने के उक्त कलक्टर से अधिकार से इंकार करेगा, तो वह यथापूर्वोक्त दी गई सूचना के पश्चात् एक मास के अन्दर मुम्बई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ जुडिकेचर को अर्जी द्वारा आवेदन करेगा, जिसमें वह अपने अभिकथित अधिकार के आधारों को बताते हुए यह प्रार्थना करेगा कि इस प्रकार समाप्त करने या हटाने से उक्त कलक्टर को रोका जाए; और उक्त कोर्ट तब (खर्चों के लिए अर्जीदार द्वारा पर्याप्त प्रतिभूति दिए जाने पर) उस अर्जी की सुनवाई और उसके न्यायनिर्णय के लिए समय नियत कर सकेगा तथा ऐसे निदेश दे सकेगा और आदेश कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत समझे और उक्त कोर्ट अभिकथित न्यूसेंस, बाधा या अधिक्रमण को बढ़ाए जाने से रोकने अथवा उक्त कलक्टर द्वारा उसे समाप्त करने या हटाने से रोकने का आदेश भी तब तक के लिए पारित कर सकेगा जब तक कि उक्त अर्जी पर न्यायनिर्णयन नहीं कर दिया जाता या कार्रवाई के अभाव में उसे खारिज नहीं कर दिया जाता।

**3. अधिकार साबित करने का भार**—प्रत्येक ऐसी अर्जी की सुनवाई पर अधिकथित अधिकार को साबित करने का भार अर्जीदार पर होगा।

**4. अर्जी के लिए समय-सीमा**—ऐसी एक मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को यथापूर्वोक्त कोई अर्जी प्रस्तुत करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक विलम्ब के लिए उक्त न्यायालय को समाधानप्रद कारण नहीं बता दिया जाता।

**5. कलेक्टर न्यूसेंस को कब हटवा सकेगा । वारंट का प्ररूप । संरक्षण**—यदि उक्त एक मास की अवधि के अन्दर कोई अर्जी प्रस्तुत नहीं की जाती है, या यदि वह प्रस्तुत की जाती है और अर्जीदार के अधिकार के विरुद्ध अवधारित की जाती है, या कार्रवाई के अभाव में खारिज कर दी जाती है, तो कलक्टर के लिए यह विधि सम्मत होगा कि वह किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें उसके स्वहस्ताक्षरित वारण्ट द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा, यथापूर्वोक्त समाप्ति कराए या हटवाए, और ऐसा वारण्ट इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची के प्ररूप सं० 2 में अथवा उसी आशय के प्ररूप में हो सकेगा, और उक्त कलक्टर, तथा उसके वारण्ट के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति किसी ऐसे न्यूसेंस, बाधा या अधिक्रमण को हटाने में अपरिवर्जनीय रूप से हुए किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

**6. अधिक्रमण विषयक सामग्री का विक्रय करने की शक्ति**—उक्त कलक्टर इस अधिनियम के अधीन हटाए गए किसी अधिक्रमण या बाधा विषयक सामग्री का विक्रय कर सकेगा, और विक्रय के आगमों को, हटाए जाने के व्ययों के संदाय में या उनके मद्धे प्रयुक्त कर सकेगा तथा यदि कोई अतिशेष बच रहा तो वह समपहृत कर लिया जाएगा और ऐसी रीति से संदत्त और प्रयुक्त किया जाएगा जैसी [केन्द्रीय सरकार] निर्दिष्ट करे।

<sup>1</sup> संक्षिप्त नाम, बाम्बे शार्ट टाइटल्स ऐक्ट, 1921 (1921 का मुम्बई अधिनियम सं० 2) द्वारा दिया गया।

यह अधिनियम, जहां तक इसका संबंध बाधाओं, अड़चनों या लोक न्यूसेंस को दूर करना है, जिससे मुम्बई पत्तन के नौ परिवहन पर प्रभाव पड़ता हो या प्रभाव पड़ना संभाव्य हो, 1855 के अधिनियम सं० 22 की धारा 2 द्वारा निरसित।

<sup>2</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “मुम्बई का शासकीय राजपत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “बाम्बे गवर्नमेंट गजट” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7. **सरकार के अधिकारों की व्यावृत्ति**—इस अधिनियम की कोई बात उक्त बन्दरगाह के या उक्त द्वीपों के समुद्रतट के किसी भाग में <sup>1\*\*\*</sup> सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और न ही पूर्वोक्त प्रकार के न्यूसेंसों और अधिक्रमणों को समाप्त करने के लिए किसी ऐसी सिविल या दाण्डिक प्रक्रिया को प्रचारित करेगी या उसमें हस्तक्षेप करेगी जैसी इस अधिनियम के पारित न किए जाने की दशा में की जा सकती।

8. **“उच्चतम-ज्वार चिह्न” की परिभाषा**—इस अधिनियम में “उच्चतम-ज्वार चिह्न” शब्दों से मानसून ज्वार पर उच्चतम-ज्वार की सामान्य रेखा अभिप्रेत होगी।

### अनुसूची

#### प्ररूप सं० 1

मुम्बई में भू-राजस्व कलक्टर द्वारा 1853 के अधिनियम सं० 11 के अधीन इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि (अधिक्रमण का वर्णन कीजिए) इसकी तारीख से एक मास के अन्दर हटाया जाना है या समाप्त किया जाना है, अन्यथा उसे उक्त अधिनियम के प्राधिकार के अधीन उक्त कलक्टर द्वारा हटा दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा।

तारीख

(कलक्टर के हस्ताक्षर)

#### प्ररूप सं० 2

मुम्बई में भू-राजस्व कलक्टर द्वारा 1853 के अधिनियम सं० 11 के अधीन दिया गया वारंट ..... के..... को (अधिक्रमण का वर्णन कीजिए) हटाने के लिए प्राधिकृत करने के वास्ते है।

तारीख

(कलक्टर के हस्ताक्षर)

<sup>1</sup> 1870 के अधिनियम सं० 14 की धारा 1 और अनुसूची भाग 2 द्वारा “की न्यासी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी” शब्द निरसित।